न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –513/2023

अनवान : –

1. गिरदावरी पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

– वादीया

बनाम्

1. रामजीलाल पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
3. मेवा उर्फ माया पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
4. रीटा पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
5. ओमकला पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
6. माया पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
7. सन्तोष पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
8. अजय प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
9. दर्शना पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
10. पूनम पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 14/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 103/97 की कुल 5.6020 हैक्ट भूमि में से 1265/2801 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्म जात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी स0 2 ता 10 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादीया का पिता है तथा प्रतिवादी स0 2 ता 6 जो की वादीया के भाई बहिन है व प्रतिवादी स0 7 ता 10 जो की वादीया के मृतक भाई रामेश्वर के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी स0 1 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है बाद हक त्याग उक्त भूमि में वादीया अकेली काबिज है। यही बिनाया दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीया के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीया का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 103/97 की कुल 5.6020 हैक्ट भूमि में से 1265/2801 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया ज[illegible]णा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत [illegible]03/97 की कुल 5.6020 हैक्ट भूमि में से 1265/2801 हिस्सा भूमि प्रतिवादी [illegible] 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –513/2023

अनवान : –

1. गिरदावरी पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

– वादीया

बनाम्

1. रामजीलाल पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
3. मेवा उर्फ माया पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
4. रीटा पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
5. ओमकला पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
6. माया पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
7. सन्तोष पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
8. अजय प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
9. दर्शना पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
10. पूनम पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 513 सन 2023 निर्णय दिनांक – 14/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 103/97 की कुल 5.6020 हैक्ट भूमि में से 1265/2801 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर